

F. No.12/96/2020-HSM
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(HSM DIVISION)

1st Level, Jal Wing,
Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road,
New Delhi - 110003

Date: 30th June, 2022

NOTICE FOR PUBLIC CONSULTATION

Subject: Proposal for amendment in the Public Liability Insurance (PLI) Act, 1991 - regarding.

The Public Liability Insurance (PLI) Act, 1991 was enacted with the objective of providing relief to the victims of accidents that might occur while handling hazardous substances. The owner who has control over handling hazardous substances is required under the Act to pay specified amounts to the victim as interim relief based on no fault liability. Hence, it was made mandatory for every owner handling hazardous substances to take insurance policies for the purpose.

2. The above referred act has not been amended since 1992 in spite of sea changes in the chemical protocols, business scenario and inflation. Some of the provisions have become redundant in course of time. This act needs to be revisited and made consistent with current policies of Governance. Further, concern was also raised with regard to the decriminalization of existing provisions of the PLI Act in order to reduce compliance to achieve real independence by weeding out fear of imprisonment for simple violations under existing law. To address the aforesaid issues, Ministry after detailed deliberation and discussion make proposal for amendment in PLI Act, 1991. Accordingly, a brief note on the proposal under consideration for amendment in the PLI Act, 1991 is enclosed herewith as **Annexure** for comments/ suggestions from the general public, Government of States and Union Territories, industry associations and other stakeholders concerned.

3. In view of the above, it is requested that comments / suggestions on the above may be sent **on or before 21st July, 2022**. The comments / suggestions may be sent by e-mail in MS-Office Word file to the following ID: **pli-mefcc@gov.in**.

4. The subject of the e-mail should be "Comments / suggestions on the proposed Amendments in the "Public Liability Insurance (PLI) Act, 1991".

5. Alternatively, comments / suggestions may also be sent by post to the following address:

Sh. Ved Prakash Mishra
1st Level, Jal Wing,
Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road, New Delhi-110003

The envelop may kindly be superscribed on the top with "Comments / suggestions on the proposed Amendments in the "Public Liability Insurance (PLI) Act, 1991"

6. This issues with the approval of the Competent Authority.

Encl.: As above.



(Ved Prakash Mishra)
Director

Tele: 011-2081 9402
E-mail: pli-mefcc@gov.in

Note for consultation on proposal to make amendment in the "Public Liability Insurance (PLI) Act, 1991

The Public Liability Insurance (PLI) Act, 1991 was enacted with the objective of providing relief to the victims of accidents that might occur while handling hazardous substances. The owner who has control over handling hazardous substances is required under the Act to pay specified amounts to the victim as interim relief based on no fault liability. Hence, it was made mandatory for every owner handling hazardous substances to take insurance policies for the purpose.

2. Further, Environment Relief Fund (ERF) was created under the Act with the additional money collected from the units handling hazardous substances. This fund is used to meet the requirements of providing immediate relief to the victims. The minimum and maximum limits of the insurance amount in an insurance policy is also needed to be specified for ensuring payment of adequate relief.

3. The above referred act has not been amended since 1992 in spite of sea changes in the chemical protocols, business scenario and inflation. Some of the provisions have become redundant in course of time. This act needs to be revisited and made consistent with current policies of Governance.

4. The proposed amendment will help in substantial progress of the Nation on account of the fact that India has now been recognized as an emerging and powerful economy in the world. Elimination of the penal provisions under the PLI Act, 1991, will ameliorate fear of imprisonment for minor lapses such as delay or incorrect filing of a compliance report etc. As an outcome, the proposed amendment will provide conducive business environment for the industries dealing with hazardous chemicals.

5. Also, the public affected by any accident will be provided with swift and reasonable compensation by the proposed amendments. The amount of relief is sought to be made commensurate with the extent of damage made. The amendments will also provide for restoration of public property and environment.

6. In case of any non-compliance or contravention of the provisions of the PLI Act, 1991 or of the rules or directions issued under the said Act, the violator will be with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extend to six years, or with fine which shall not be less than one lakh rupees, or with both.

7. The substantive changes made in the proposed amendment of the PLI Act, 2022 are as below: -

- i. The violations of various provisions of PLI act will not attract prosecution. Only non-payment of penalty/additional penalty will attract criminal liability.
- ii. Provisions for substantial penalty will be introduced for contravention and non-compliance of the provisions in place of imprisonment.

- iii. Provisions for designating Adjudicating officer for awarding the penalty and compensation amount will be introduced.
 - iv. The provisions with respect to restoration to public property and environmental damage by utilisation of Environment Relief Fund will be inserted.
 - v. The amount of limit of the insurance policy has been increased substantially.
 - vi. The proposed amendment involves the omission of Schedule containing the quantum of relief and transferring it to the Public Liability Insurance (PLI) Rules, 1991 for ease of revision of the amount of relief as per the inflation in future.
 - vii. Appeal to Hon'ble National Green Tribunal has been introduced in case of grievance against the imposition of penalty.
8. The details of the amendment proposed in the relevant sections of PLI Act, 1991 is appended below for comments/suggestions.

Proposed Amendment vis-à-vis Original Provisions in the Public Liability Insurance (PLI) Act, 1991

Name of the Ministry / Department: Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Section/Title	Existing Provisions	Amendment proposed	Rationale
<p>Section 1. Short title and commencement.-</p>	<p>(1) This Act may be called the Public Liability Insurance Act, 1991.</p> <p>(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification, appoint.</p>	<p>(1) This Act may be called the Public Liability Insurance (Amendment) Bill, 2022.</p> <p>(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.</p>	-
<p>Section 2. Definitions. -</p>	<p>In this Act, unless the context otherwise requires,</p> <p>(a) "accident" means an accident involving a fortuitous or sudden or unintended occurrence while handling any hazardous substance resulting in continuous or intermittent or repeated exposure to death of, or injury to, any person or damage to any property but does not include an accident by reason only of war or radio-activity;]</p> <p>(b) "Collector" means the Collector having jurisdiction over the area in which the accident occurs;</p> <p>(c) "handling", in relation to any hazardous substance, means the manufacture, processing, treatment, package, storage, tran</p>	<p>In Public Liability Insurance Act, 1991 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, -</p> <p>a. after clause (ha), the following clause shall be inserted, namely: -</p> <p>(hb) "property" includes any private property or public property affected or damaged by any unit or undertaking, due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes of hazardous substance."</p>	<p>In Section 2 of the Principal Act, there is no definition defined for "Property".</p> <p>For clarity and to avoid ambiguity and misinterpretation, appropriate definition of "Property" is a necessity, and to include public property and Environment also within the scope of the Act.</p>

transportation by vehicle, use, collection, destruction, conversion, offering for sale, transfer or the like of such hazardous substance;

(d) "hazardous substance" means any substance or preparation which is defined as a hazardous substance under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and exceeding such quantity as may be specified, by notification, by the Central Government;

(e) "insurance" means insurance against liability under sub-section (1) of section 3:

(f) "notification" means a notification published in the official Gazette;

(g) "owner" means a person who owns, or has control over handling any hazardous substance at the time of accident and includes, -

in the case of a firm, any of its partners;

- i. in the case of an association, any of its members; and
- ii. in the case of a company, any of its directors, managers, secretaries or other officers who is directly in charge of, and is responsible to the

(b) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely: -

“(k) words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Environment Protection Act, 1986 shall all have the meaning respectively assigned to them in that Act.”.

	<p>company for the conduct of the business of the company;]</p> <p>(h) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;</p> <p>[(ha) "Relief Fund" means the Environmental Relief Fund established under section 7A]</p> <p>(i) "rules" means rules made under this Act;</p> <p>(j) "vehicle" means any mode of surface transport other than railways.</p>		
<p>Section 3: Liability to give relief in certain cases on principle of no fault. -</p>	<p>(1) Where death or injury to any person (other than a workman) or damage to any property has resulted from an accident, the owner shall be liable to give such relief as is specified in Schedule for such death, injury or damage.</p> <p>(2) In any claim for relief under sub-section (1) (hereinafter referred to in this Act as claim for relief), the claimant shall not be required to plead and establish that the death, injury or damage in respect of which the claim has been made was due to any wrongful act, neglect or default of any person.</p>	<p>In the principal Act, in section 3, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely: -</p> <p>“(1) Where death or injury to any person (other than a workman) or damage to any property has resulted from an accident, the owner shall be liable to reimburse such amount, or provide such other relief as may be prescribed, for-</p> <p>A. death due fatal accident; B. medical expenses incurred due to total or partial disability; C. loss of wages due to partial disability;</p>	<p>The amounts of compensation, if included in rules, may be adjusted for inflation in future more conveniently.</p>

	<p>Explanation. - For the purpose of this section, -</p> <p>(i) "workman" has the meaning assigned to it in the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923);</p> <p>i. "injury" includes permanent total or permanent partial disability or sickness resulting out of an accident.</p>	<p>D. other injury or sickness; or</p> <p>E. damage to private property.</p>	
<p>Section 4:</p> <p>Duty of owner to take out insurance policies. -</p>	<p>(1) Every owner shall take out, before he starts handling any hazardous substance, one or more insurance policies providing for contracts of insurance whereby he is insured against liability to give relief under sub-section (1) of section 3;</p> <p>Provided that any owner handling any hazardous substance immediately before the commencement of this Act shall take out such insurance policy or policies as soon as may be and in any case within a period of one year from such commencement.</p> <p>(2) Every owner shall get the insurance policy, referred to in subsection (1), renewed from time to time before the expiry of the period of validity thereof so that the insurance policies may remain in force throughout the period during which such handling is continued.</p>	<p>In the principal Act, in section 4,-</p> <p>a. for sub-section (1), the following shall be substituted, namely: -</p> <p>"(1) Every owner of any undertaking shall take out, before he starts handling any hazardous substance, one or more insurance policies for each unit providing for contracts of insurance whereby he is insured against liability to give such relief or reimburse such amount as may be prescribed under sub-section (1) of section 3.</p> <p><i>Explanation.</i> - For the purposes of this sub-section, it is hereby clarified</p>	<p>For Clarity and to specify the legal requirements to mandate separate policy for each industry/unit s.</p>

[(2A) No insurance policy taken out or renewed by an owner shall be for an amount less than the amount of the paid-up capital of the undertaking handling any hazardous substance and owned or controlled by that owner, and more than the amount, not exceeding fifty crore rupees, as may be prescribed.

(Explanation. -For the purpose of this sub-section, "paid-up capital" means in the case of an owner not being a company, the market value of all assets and stocks of the undertaking on the date of contracts of insurance.)

(2B) The liability of the insurer under one insurance policy shall not exceed the amount specified in the terms of the contract of insurance in that insurance policy.

(2C) Every owner shall also, together with the amount of premium, pay to the insurer, for being credited to the Relief Fund established under section 7A, such further amount, not exceeding the sum equivalent to the amount of premium, as may be prescribed.

(2D) The insurer shall remit to the authority specified in sub-section (3) of section 7A the amount received from the owner under

d that any undertaking having separate consent to operate under-

- a. the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; and
- b. the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974,

shall be treated as a separate unit.”.

Provided that any owner handling any hazardous substance immediately before the commencement of this Act shall take out such insurance policy or policies as soon as may be and in any case within a period of one year from such commencement.

(b) for sub-section (2A), the following sub-section shall be substituted, namely: - Inflation adjustment

“(2A) An insurance policy taken out or renewed by an owner for any undertaking or unit shall be for an amount which shall not be less than the amount of the paid-up capital of that undertaking or unit handling any hazardous substance owned or controlled by that owner and may extend to such amount as may be

	<p>r sub-section (2C) for being credited to the Relief Fund in such manner and within such period as may be prescribed and where the insurer fails to so remit that amount, it shall be recoverable from the insurer as arrears of land revenue or of public demand.]</p> <p>(3) The Central Government may, by notification, exempt from the operation of sub-section (1) any owner, namely: -</p> <p>(a) the Central Government; (b) any State Government, (c) any corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government; or (d) any local authority:</p> <p>Provided that no such order shall be made in relation to such owner unless a fund has been established and is maintained by that owner in accordance with the rules made in this behalf for meeting any liability under sub-section (1) of section 3.</p>	<p>prescribed but not exceeding five hundred crore rupees.”.</p> <p><i>Explanation.</i> — For the purposes of this sub-section, “paid-up capital” means, in the case of an owner not being a company, the market value of all assets and stocks of the undertaking on the date of contract of insurance.</p>	
<p>Section 6: Application for claim for relief. -</p>	<p>(1) An application for claim for relief may be made-</p> <p>(a) by the person who has sustained the injury; (b) by the owner of the property to which the damage has been caused;</p>	<p>In the principal Act, in section 6, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely: -</p> <p>“(1A) where any damage has been caused to any public property or private property due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation</p>	<p>For inclusion of public property within the scope of the Act.</p>

	<p>(c) where death has resulted from the accident, by all or any of the legal representatives of the deceased; or</p> <p>(d) by any agent duly authorized by such person or owner of such property or all or any of the legal representatives of the deceased, as the case may be:</p> <p>Provided that where all the legal representatives of the deceased have not joined in any such application for relief, the application shall be made on behalf of or for the benefit of all the legal representatives of the deceased and the legal representatives who have not so joined shall be impleaded as respondents to the application.</p> <p>(2) Every application under sub-section (1) shall be made to the Collector and shall be in such form, contain such particulars and shall be accompanied by such documents as may be prescribed.</p> <p>(3) No application for relief shall be entertained unless it is made within five years of the occurrence of the accident.</p>	<p>, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes, of such hazardous substance, an application for claim for restoration of the property may be made by the owner of the property or such other person, as may be prescribed, to the Collector.”.</p>	
<p>Section 7: Award of relief.-</p>	<p>(1) On receipt of an application under sub-section (1) of section 6, the Collector shall after giving notice of the application to the owner and after giving the parties an opportunity of being heard, hold an inquiry into the claim or, each of the claims, and m</p>	<p>In the principal Act, in section 7, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted, namely: -</p> <p>“(9) Where the environment is affected or damaged due to manufacture, pr</p>	<p>For inclusion of damage to Environment in the scope of the Act.</p>

may make an award determining the amount of relief which appears to him to be just and specifying the person or persons to whom such amount of relief shall be paid.

(2) The Collector shall arrange to deliver copies of the award to the parties concerned expeditiously and in any case within a period of fifteen days from the date of the award.

(3) When an award is made under this section, -

(a) the insurer, who is required to pay any amount in terms of such award and to the extent specified in sub-section (2B) of section 4, shall, within a period of thirty days of the date of announcement of the award, deposit that amount in such manner as the Collector may direct;

(b) the Collector shall arrange to pay from the Relief Fund, in terms of such award and in accordance with the scheme made under section 7A, to the person or persons referred to in sub-section (1) such amount as may be specified in that scheme;

(c) the owner shall, within such period, deposit such amount in such manner as the Collector may direct.

rocessing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer or such other processes, of such hazardous substance, the Central Government may, on an application made by Central Pollution Control Board or the State Pollution Control Board, as the case may be, allocate the fund for restoration of the damage so caused.”

(4) In holding any inquiry under sub-section (1), the Collector may, subject to any rules made in this behalf, follow such summary procedure as he thinks fit.

(5) The Collector shall have all the powers of Civil Court for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and of compelling the discovery and production of documents and material objects and for such other purposes as may be prescribed; and the Collector shall be deemed to be a Civil Court for all the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(6) Where the insurer or the owner against whom the award is made under sub-section (1) fails to deposit the amount of such award within the period specified under sub-section (3), such amount shall be recoverable from the owner, or as the case may be, the insurer as arrears of land revenue or of public demand.

(7) A claim for relief in respect of death of, or injury to, any person or damage to any property shall be disposed of as expeditiously as possible and every endeavour shall be made to dispose of such claim within three months of the receipt of the applicat

	<p>ion for relief under sub-section (1) of section 6.</p> <p>(8) Where an owner is likely to remove or dispose of his property with the object of evading payment by him of any amount of the award, the Collector may, in accordance with the provisions of rules 1 to 4 of Order XXXIX of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, (5 of 1908), grant a temporary injunction to restrain such act.]</p>		
<p>Section 14.</p> <p>Penalty for contravention of sub-section (1) or sub-section (2) of section 4 or failure to comply with directions under section 12. -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whoever contravenes any of the provisions of 1 [sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (2A) or sub-section (2C)] of section 4 or fails to comply with any direction issued under section 12, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extend to six years, or with fine which shall not be less than one lakh rupees, or with both. 2. Whoever, having already been convicted of an offence under sub-section (1), is convicted for the second offence or any offence subsequent to the second offence, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine which shall 	<p>In the principal Act, for section 14, the following shall be substituted, namely: -</p> <p>“14. Penalty for contravention. -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Whoever contravenes any of the provisions of sub-section (1), sub-section (2), sub-section (2A) or sub-section (2C) of section 4, he shall be liable to pay the penalty equal to the amount which shall not be less than the amount of premium for insurance policy and may extend up to twice the amount of such premium. 2. Where contravention under sub-section (1) continues, an additional 	<p>To comply with the Action Plan forwarded by the Ministry to DPIIT for decriminalization of penal provisions of various Acts/Rules administered by MoEFCC</p>

	<p>all not be less than one lakh rupees.</p> <p>3. Nothing contained in section 360 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), or in the Probation of Offenders Act, 1958 (20 of 1958), shall apply to a person convicted of an offence under this Act unless such person is under eighteen years of age.</p>	<p>A penalty may be imposed by the adjudication officer, which shall not exceed the amount of annual premium to be paid, for each month or part thereof during which the contravention continues.</p> <p>3. All penalties imposed under this Act shall be credited to ERF.</p>	
<p>Section 15.</p> <p>Penalty for failure to comply with direction under section 9 or order under section 11 or obstructing any person in discharge of his functions under section 10 or 11.</p> <p>-</p>	<p>If any owner fails to comply with direction issued under section 9 or fails to comply with order issued under sub-section (2) of section 11, or obstructs any person in discharge of his functions under section 10 or sub-section (1) or sub-section (3) of section 11, he shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.</p>	<p>In the principal Act, for section 15, the following shall be substituted, namely: -</p> <p>15. "Penalty for non-compliance of the directions. -</p> <p>(1) Whoever does not comply with any directions issued under section 12, he shall be liable to pay a penalty which shall not be less than five lakh rupees which may extend to fifty lakh rupees.</p> <p>(2) Where any noncompliance under sub-section (1) continues, he shall be liable to pay an additional penalty be imposed by the adjudication officer, which shall not exceed ten lakh rupees for each month or part thereof of non-compliance.</p>	<p>To comply with the Action Plan forwarded by the Ministry to DPIIT for decriminalization of penal provisions of various Acts/Rules administered by MoEFCC.</p>

(3) Where any owner does not comply with direction issued under section 9 or does not comply with order issued under sub-section (2) of section 11, or obstructs any person in discharge of his functions under section 10 or sub-section (1) or sub-section (3) of section 11, he shall be liable to pay penalty which shall extend to one lakh rupees for each such non-compliance.

15 A. Adjudicating Officer. -

1. The Central Government, for the purposes of determining the penalties under sections 14 and 15, may appoint District Magistrate having jurisdiction over the area to be the adjudicating officer, to hold an inquiry in the manner, as may be prescribed and to impose the penalty:

Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required.

(2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of a

ny person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of sub-section (1), sub-section (2), sub-section (2A) or sub-section (2C) of section 4 and section 12, he may determine such penalty as he thinks fit in accordance the provisions of section 14 and 15:

Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned an opportunity of being heard in the matter.

15 B. Appeal. -

1. Any person aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 14 or 15, may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Every appeal under sub-section (1) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. 3. The National Green Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against." 	
<p>Section 16. Offences by companies. -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Where any offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: <p style="text-align: center;">Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his k</p> 	<p>The section 16 is hereby omitted.</p>	<p>To comply with the Action Plan forwarded by the Ministry to DPIIT for decriminalization of penal provisions of various Acts/ Rules administered by MoEFCC.</p> <p>Since, penal provisions have been decriminalized, hence penalty may be paid by company itself as any other person.</p>

knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

2. Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation. —For the purposes of this section, —

(a) “company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals;

(b) “director,” in relation to a firm, means a partner in the firm.

<p>Section 17.</p> <p>Offences by Government Departments.</p>	<p>Where an offence under this Act has been committed by any Department of Government, the Head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:</p> <p>Provided that nothing contained in this section shall render such Head of the Department liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.</p>	<p>In the principal Act, for section 17, the following shall be substituted, namely: -</p> <p>“17. Contravention by Government Departments. –</p> <p>Where contravention of any provision of this Act has been made by any department or agency of the Central Government or any State Government, the person contravening such provision and if acting on the instruction of senior officer, such senior officer shall be liable to pay the penalty not exceeding Rs. 50000/- for each such contravention”.</p> <p>Insertion of a new section 17A</p> <p>In the principal Act, after 17, the following shall be inserted, namely: -</p> <p>17A. (1) Where any person fails to pay the penalty or additional penalty, for –</p> <ol style="list-style-type: none"> a. contravention or continued contravention under section 14 and 17, as the case may be; or b. noncompliance of the directions under section 15, 	<p>To comply with the Action Plan forwarded by the Ministry to DPIIT for decriminalization of penal provisions of various Acts/Rules administered by MoEFCC</p>
---	--	--	---

he shall be liable for imprisonment which may extend to one year and/or with fine which may extend to five lakh rupees.

2. Where any offence under section 17A has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of such offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

3. Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence under this Act has been co

		<p>mitted by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.</p> <p><i>Explanation.</i> — For the purposes of this section, -</p> <p>(a) “company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; (b) “director,” in relation to a firm, means a partner in the firm.</p>	
<p>Section 23. Power to make rules</p>	<p>(1) The Central Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.</p> <p>(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely</p>	<p>In the principal Act, in section 23, in sub-section (2), -</p> <p>i. After clause (ac), the following clause shall be inserted, namely: -</p> <p>“(ad) amount of reimbursement or other relief under sub-section (1) of section 3;”;</p>	<p>To move the quantum of relief to rules from the Act so as to make it more flexible as per the inflation.</p>

[(a) the maximum amount for which an insurance policy may be taken out by an owner under sub-section (2A) of section 4;
(aa) the amount required to be paid by every owner for being credited to the Relief Fund under sub-section (2C) of section 4;
(ab) the manner in which and the period within which the amount received from the owner is required to be remitted by the insurer under sub-section (2D) of section 4];
[[ac)] establishment and maintenance of fund under sub-section (3) of section 4;
(b) the form of application and the particulars to be given therein and the documents to accompany such application under sub-section (2) of section 6;
(c) the procedure for holding an inquiry under sub-section (4) of section 7;
(d) the purposes for which the Collectors shall have powers of a Civil Court under sub-section (5) of section 7;
(e) the manner in which notice of the offence and of the intention to make a complaint to the Central Government shall be given under clause (b) of section 18;
(f) any other matter which is required to be done, or may be, prescribed.

ii. after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

“(ea) the manner of holding inquiry under section 15B;”.

	<p>(3) Every [rule or scheme] made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the [rule or scheme] or both Houses agree that the [rule or scheme] should not be made, the [rule or scheme] shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that [rule or scheme].</p>		
<p>THE SCHEDULE</p>	<p>THE SCHEDULE [See section 3(1)]</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Reimbursement of medical expenses incurred up to a maximum of Rs. 12,500 in each case. ii. (ii) For fatal accidents the relief will be Rs. 25,000 per person in addition to reimbursement of medical expenses if any, incurred on the victim up to a maximum of Rs. 12,500. 	<p>In the principal Act, the Schedule shall be omitted.</p>	<p>The amounts of compensation, if included in rules, may be adjusted for inflation in future more conveniently.</p>

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>iii. For permanent total or permanent partial disability or other injury or sickness, the relief will be (a) reimbursement of medical expenses incurred, if any, up to a maximum of Rs. 12,500 in each case and (b) cash relief on the basis of percentage of disablement as certified by an authorised physician. The relief for total permanent disability will be Rs. 25,000.</p> <p>iv. For loss of wages due to temporary partial disability which reduces the earning capacity of the victim, there will be a fixed monthly relief not exceeding Rs. 1,000 per month up to a maximum of 3 months: provided the victim has been hospitalised for a period exceeding 3 days and is above 16 years of age.</p> <p>v. Up to Rs. 6,000 depending on the actual damage, for any damage to private property</p> | | |
|--|---|--|--|

फाइल नंबर 12/96/2020-एचएसएम
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(एचएसएम प्रभाग)

प्रथम तल, जल विंग,
इंदिरा पर्यावरण भवन
जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 30 जून, 2022

सार्वजनिक परामर्श के लिए सूचना

विषय: लोक दायित्व बीमा (पीएलआई) अधिनियम, 1991 में संशोधन करने के प्रस्ताव - के संबंध में।

लोक दायित्व बीमा (पीएलआई) अधिनियम, 1991 को किसी परिसंकटमय पदार्थों को हथालने के समय होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त राहत देने के प्रयोजनार्थ अधिनियमित किया गया था। किसी परिसंकटमय पदार्थों को हथालने पर नियंत्रण रखने वाले मालिक अर्थात् जो दुर्घटना के समय किसी परिसंकटमय पदार्थ का स्वामी है, अधिनियम के तहत बिना किसी गलती या किसी दोष के दायित्व के आधार पर अंतरिम राहत के रूप में प्रभावित व्यक्ति को निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, परिसंकटमय पदार्थों को हथालने वाले प्रत्येक मालिक/स्वामी के लिए इस प्रयोजनार्थ बीमा पॉलिसियाँ लेना अनिवार्य कर दिया गया था।

2. रासायनिक प्रोटोकॉल, व्यापार परिदृश्य और मुद्रास्फीति में आकस्मिक पूर्ण परिवर्तन होने के बावजूद 1992 के बाद से उपरोक्त संदर्भित एवं निर्दिष्ट अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया है। कुछ प्रावधान समय के साथ-साथ निरर्थक एवं बेमानी हो गए हैं। इस अधिनियम पर पुनविचार करने और अधिनियम को सरकार की वर्तमान नीतियों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, पीएलआई अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों एवं उपबंधों के गैर-अपराधीकरण (डिक्रिमिनालाइजेशन) के संबंध में भी चिंता व्यक्त की गई थी ताकि मौजूदा कानून के तहत साधारण उल्लंघनों के लिए कारावास के डर को दूर करके वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनुपालन को कम किया जा सके। उपरोक्त मुद्दों को संबोधित करने और उनका समाधान करने के लिए, मंत्रालय विस्तृत विचार-विमर्श और चर्चा करने के बाद पीएलआई अधिनियम, 1991 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। तदनुसार, पीएलआई अधिनियम, 1991 में संशोधन करने के लिए विचाराधीन प्रस्ताव पर एक संक्षिप्त नोट को आम जनता, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, उद्योग संघों और संबंधित अन्य पणधारियों की टिप्पणियों/सुझावों के लिए अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त पर टिप्पणियाँ/सुझाव 21 जुलाई, 2022 को या उससे पहले भेजे जा सकते हैं। टिप्पणियाँ/सुझाव ई-मेल द्वारा एमएस-ऑफिस वर्ड (MS-Office Word) फाइल में निम्नलिखित आईडी पर भेजे जा सकते हैं: pli-mefcc@gov.in

4. ई-मेल का विषय "लोक दायित्व बीमा (पीएलआई) अधिनियम, 1991" में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियाँ/सुझाव होना चाहिए।

5. वैकल्पिक रूप से, अपनी टिप्पणियाँ/सुझाव निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा भी भेजे जा सकते हैं:

श्री वेद प्रकाश मिश्रा
प्रथम तल, जल विंग,
इंदिरा पर्यावरण भवन
जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003

लिफाफे को कृपया "लोक दायित्व बीमा (पीएलआई) अधिनियम, 1991" में प्रस्तावित संशोधनों पर "टिप्पणियों/सुझावों" के साथ शीर्ष पर अधिरोपित या अंकित किया जा सकता है।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।

संलग्नक: उपर्युक्त के अनुसार।



(वेद प्रकाश मिश्रा)
निदेशक

फोन: 011-2081 9402
ईमेल: pli-mefcc@gov.in

“लोक दायित्व बीमा (पीएलआई) अधिनियम, 1991” में संशोधन करने के प्रस्ताव पर परामर्श करने के लिए नोट

लोक दायित्व बीमा (पीएलआई) अधिनियम, 1991 को किसी परिसंकटमय पदार्थों को हथालने के समय होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त राहत देने के प्रयोजनार्थ अधिनियमित किया गया था। किसी परिसंकटमय पदार्थों को हथालने पर नियंत्रण रखने वाले मालिक अर्थात् जो दुर्घटना के समय किसी परिसंकटमय पदार्थ का स्वामी है, अधिनियम के तहत बिना किसी गलती या किसी दोष के दायित्व के आधार पर अंतरिम राहत के रूप में प्रभावित व्यक्ति को निर्दिष्ट राशि का भुगतान करेगा। इसलिए, परिसंकटमय पदार्थों को हथालने वाले प्रत्येक मालिक/स्वामी के लिए इस प्रयोजनार्थ बीमा पॉलिसियाँ लेना अनिवार्य कर दिया गया था।

2. इसके अलावा, इस अधिनियम के तहत परिसंकटमय पदार्थों को हथालने एवं संचालन करने वाली इकाइयों से एकत्रित की गयी अतिरिक्त धनराशि से पर्यावरण राहत कोष (ईआरएफ) बनाया गया था। इस कोष (फंड) का उपयोग प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पर्याप्त राहत का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बीमा पॉलिसी में बीमा राशि की न्यूनतम और अधिकतम सीमा भी विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।
3. रासायनिक प्रोटोकॉल, व्यापार परिदृश्य और मुद्रास्फीति में आकस्मिक पूर्ण परिवर्तन होने के बावजूद 1992 के बाद से उपरोक्त संदर्भित एवं निर्दिष्ट अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया है। कुछ प्रावधान समय के साथ-साथ निरर्थक हो गए हैं। इस अधिनियम पर पुनविचार करने और अधिनियम को शासन की वर्तमान नीतियों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।
4. प्रस्तावित संशोधन इस तथ्य के कारण राष्ट्र की पर्याप्त प्रगति में मदद करेगा कि भारत को अब दुनिया में एक उभरती और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता दी गई है। पीएलआई अधिनियम, 1991 के तहत दंडात्मक प्रावधानों एवं उपबंधों को समाप्त करने से अनुपालन रिपोर्ट में विलंब या गलत फाइलिंग आदि जैसी मामूली एवं छोटी-मोटी चूकों के लिए कारावास का भय कम हो जाएगा और कारावास होने के डर में सुधार होगा। नतीजतन, प्रस्तावित संशोधन परिसंकटमय रसायनों से निपटने वाले उद्योगों के लिए अनुकूल व्यवसायिक एवं कारोबारी माहौल प्रदान करेगा।
5. साथ ही, किसी भी दुर्घटना होने से प्रभावित जनता को प्रस्तावित संशोधनों द्वारा त्वरित और उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। राहत की धनराशि को ही नुकसान की सीमा के अनुरूप बनाने की माँग की गई है। इन संशोधनों में सार्वजनिक संपत्ति और पर्यावरण की बहाली का प्रावधान होगा।
6. पीएलआई अधिनियम, 1991 के प्रावधानों या उक्त अधिनियम के तहत जारी नियमों या निर्देशों के किसी भी गैर-अनुपालन करने या उल्लंघन करने के मामले में, उल्लंघनकर्ता को एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी जो एक वर्ष और छह महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे छह साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, या दोनों के साथ दण्डित किया जा सकता है।
7. पीएलआई अधिनियम, 2022 के प्रस्तावित संशोधन में किए गए मूल परिवर्तन निम्नानुसार हैं: -
 - i. पीएलआई अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर मुकदमा या अभियोजन नहीं चलेगा। केवल जुर्माना/अतिरिक्त दंड और शास्ति का भुगतान नहीं करने पर ही आपराधिक दायित्व लगेगा।

- ii. कारावास के स्थान पर प्रावधानों का उल्लंघन करने और गैर-अनुपालन करने के लिए पर्याप्त दंड के प्रावधान लागू हो जाएंगे।
 - iii. जुर्माना, क्षतिपूर्ति और मुआवजे की राशि देने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी को नामित करने का प्रावधान लागू हो जाएंगे।
 - iv. पर्यावरण राहत कोष के उपयोग से सार्वजनिक संपत्ति की बहाली और पर्यावरणीय क्षति के संबंध में प्रावधान को अंतःस्थापित किया जाएगा।
 - v. बीमा पॉलिसी की सीमा की राशि में काफी वृद्धि की गई है।
 - vii. प्रस्तावित संशोधन में राहत की मात्रा वाली अनुसूची की चूक या लोप होना और भविष्य में मुद्रास्फीति के अनुसार राहत की धनराशि के संशोधन को आसान बनाने के लिए इसे लोक दायित्व बीमा (पीएलआई) अधिनियम, 1991 में स्थानांतरित करना शामिल है।
 - viii. जुर्माना लगाने के खिलाफ शिकायत के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील करने का प्रावधान है।
8. पीएलआई अधिनियम, 1991 की संबंधित धाराओं में प्रस्तावित संशोधन करने का विवरण टिप्पणियों/सुझावों के लिए नीचे संलग्न किया गया है।

लोक दायित्व बीमा (पीएलआई) अधिनियम, 1991 में मूल प्रावधानों की तुलना में प्रस्तावित संशोधन

मंत्रालय / विभाग का नाम: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

धारा/शीर्षक	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	तर्काधार
धारा 1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 है। (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।	(1) इस अधिनियम को लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक, 2022 कहा जायेगा (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करेगी।	-
धारा 2 परिभाषाएँ -	इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,- [(क) दुर्घटना" से कोई ऐसी दुर्घटना अभिप्रेत है, जिसमें किसी परिसंकटमय पदार्थ के हथालने के समय कोई ऐसी आकस्मिक या अचानक या अनाशयित घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु की या उसको क्षति पहुंचने की या किसी संपत्ति के नुकसान की निरंतर, या आंतरायिक या बार-बार आशंका बनी रहती है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसी कोई दुर्घटना नहीं है जो केवल युद्ध या रेडियो-धर्मिता के कारण हो ;] (ख) कलक्टर" से उस क्षेत्र में जिसमें दुर्घटना हुई है, अधिकारिता रखने वाला कलक्टर अभिप्रेत है ; (ग) किसी परिसंकटमय पदार्थ के संबंध में, हथालना" से ऐसे परिसंकटमय पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारकरण, यान द्वारा परिवहन, उपयोग, संग्रहण, नाशकरण, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापन, अन्तरण या वैसी ही संक्रिया अभिप्रेत है ; (घ) परिसंकटमय पदार्थ" से ऐसा कोई पदार्थ या निर्मिति अभिप्रेत है जो	लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित), धारा 2 में, - (अ) खंड (ह अ) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- (एचबी) "संपत्ति" में किसी भी इकाई या उपक्रम द्वारा प्रभावित या क्षतिग्रस्त कोई भी निजी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति को शामिल किया गया है जो विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारण, यान द्वारा परिवहन, उपयोग, संग्रह, नाशकरण, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापन, अन्तरण या वैसी ही अन्य संक्रियाओं के कारण के कारण है"। (ख) खंड (जे) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - “(के) इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः वही होगा जो उन्हें उस अधिनियम में दिया गया है।”।	मूल अधिनियम की धारा 2 में, "संपत्ति" के लिए परिभाषित कोई परिभाषा नहीं है। स्पष्टता के लिए और अस्पष्टता और गलत व्याख्या से बचने के लिए, "संपत्ति" की एक उपयुक्त परिभाषा एक आवश्यकता है, और सार्वजनिक संपत्ति और पर्यावरण को भी अधिनियम के दायरे में शामिल करना है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन परिसंकटमय पदार्थ के रूप में परिभाषित है और उतनी मात्रा से अधिक है जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ;

(ड) बीमा" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन दायित्व की बाबत बीमा अभिप्रेत है ;

(च) अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

[(छ) स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो दुर्घटना के समय किसी परिसंकटमय पदार्थ का स्वामी है या ऐसे पदार्थ के हथालने पर उसका नियंत्रण है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात् :-

(i) किसी फर्म की दशा में, उसका कोई भागीदार ;

(ii) किसी संगम की दशा में उसका कोई सदस्य; और

(iii) किसी कंपनी की दशा में, उसका कोई निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी जो कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रत्यक्षतः भारसाधक है, और उसके प्रति उत्तरदायी है ;]

(ज) विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(जक) राहत निधि" से धारा 7क के अधीन स्थापित पर्यावरण राहत निधि अभिप्रेत है ;]

(झ) नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;

(ञ) यान" से रेल से भिन्न जल-भूतल परिवहन का कोई साधन अभिप्रेत है।

<p>धारा 3: कतिपय मामलों में दोष न होने के सिद्धांत पर राहत देने का दायित्व</p>	<p>कतिपय मामलों में दोष न होने के सिद्धान्त पर राहत देने का दायित्व-(1) जहां किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप (कर्मकार से भिन्न) किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसे क्षति पहुंचती है या संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है वहां स्वामी ऐसी राहत देने के लिए दायित्वाधीन होगा जो अनुसूची में ऐसी मृत्यु, क्षति या नुकसान के लिए विनिर्दिष्ट है।</p> <p>(2) उपधारा (1) के अधीन राहत के किसी दावे में (जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् राहत के लिए दावा कहा गया है) दावेदार से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह यह अभिवाक् करे और सिद्ध करे कि वह मृत्यु, क्षति या नुकसान, जिसके बारे में दावा किया गया है, किसी व्यक्ति के किसी दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुआ है। स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-</p> <p>(i) कर्मकार" का वही अर्थ है जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है ;</p> <p>(ii) क्षति" के अन्तर्गत किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई पूर्ण स्थायी या आंशिक स्थायी निःशक्तता या रुग्णता है।</p>	<p>मूल अधिनियम की धारा 3 में, उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-</p> <p>"(1) जहाँ किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप (कर्मकार से भिन्न) किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसे क्षति पहुँचती है या परिसंपत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है वहाँ स्वामी ऐसी राहत देने के लिए दायित्वाधीन होगा जो अनुसूची में ऐसी मृत्यु, क्षति या नुकसान के लिए विनिर्दिष्ट है।</p> <p>क. घातक दुर्घटना के कारण मृत्यु; ख. कुल या आंशिक विकलांगता के कारण होने वाले चिकित्सा व्यय; ग. आंशिक विकलांगता के कारण मजदूरी की हानि; घ. अन्य चोट या बीमारी; या ण. निजी संपत्ति को नुकसान।</p>	<p>मुआवजे की मात्रा, यदि नियमों में शामिल है, तो भविष्य में मुद्रास्फीति के लिए अधिक सुविधाजनक रूप से समायोजित की जा सकती है।</p>
<p>धारा 4: बीमा पॉलिसियाँ लेने के लिए स्वामी का कर्तव्य -</p>	<p>(1) प्रत्येक स्वामी किसी परिसंकटमय पदार्थ का हथालना प्रारम्भ करने के पूर्व एक या अधिक बीमा पालिसियाँ लेगा जिसमें या जिनमें ऐसी बीमा की संविदाओं के लिए उपबन्ध होगा जिसके द्वारा वह धारा 3 की उपधारा (1) के</p>	<p>मुख्य अधिनियम में, धारा 4 में, - क. उप-धारा (1) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- (1) प्रत्येक स्वामी किसी परिसंकटमय पदार्थ का हथालना प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक इकाई के लिए एक या अधिक पॉलिसियाँ लेगा जिसमें या जिनमें ऐसी बीमाओं की संविदाओं के</p>	<p>स्पष्टता के लिए और प्रत्येक उद्योग/इकाइयों के लिए अलग नीति अनिवार्य करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं</p>

अधीन राहत देने के दायित्व की बाबत बीमाकृत है :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी परिसंकटमय पदार्थ के हथालने वाला कोई स्वामी ऐसी बीमा पालिसी या पालिसियां यथाशक्यशीघ्र लेगा और किसी भी दशा में ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर लेगा।

(2) प्रत्येक स्वामी उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमा पालिसी को उसकी विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के पूर्व समय-समय पर नवीकृत करवाता रहेगा ताकि बीमा पालिसियां उस अवधिपर्यन्त प्रवृत्त बनी रहें जिसके दौरान ऐसा हथालना जारी रहता है।

(2क) किसी स्वामी द्वारा ली गई या नवीकृत कराई गई कोई भी बीमा पालिसी किसी परिसंकटमय पदार्थ को हथालने वाले और उस स्वामी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उपक्रम की समादत्त पूंजी की रकम से कम रकम की नहीं होगी और पचास करोड़ रुपए से अनधिक ऐसी रकम से, जो विहित की जाए, अधिक की नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "समादत्त पूंजी" से, किसी स्वामी की दशा में, जो कंपनी नहीं है, बीमा की संविदा की तारीख को उपक्रम की सभी आस्तियों और स्टाकों का बाजार मूल्य अभिप्रेत है।

(2ख) किसी एक बीमा पालिसी के अधीन बीमाकर्ता का दायित्व उस बीमा पालिसी में बीमा की संविदा के निबंधनों में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगा।

(2ग) प्रत्येक स्वामी, प्रीमियम की रकम के साथ, बीमाकर्ता को प्रीमियम की रकम के समतुल्य राशि से अनधिक ऐसी अतिरिक्त रकम, जो विहित की जाए,

लिए उपबंध होगा जिसके द्वारा वह धारा 3 की उपधारा

(1) के अधीन राहत देने के दायित्व की बाबत बीमाकृत है।

व्याख्या - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी उपक्रम के तहत संचालित करने के लिए अलग-अलग सहमति है-

(क) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; और

(ख) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को एक अलग इकाई के रूप में माना जाएगा।

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व किसी परिसंकटमय पदार्थ के हथालने वाला कोई स्वामी ऐसी बीमा पालिसी या पालिसियाँ यथाशक्यशीघ्र लेगा और किसी भी दशा में इसके प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर लेगा।

(ख) उपधारा (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

(2क) किसी स्वामी द्वारा ली गयी या नवीकृत करायी गयी कोई भी बीमा पालिसी किसी परिसंकटमय पदार्थ को हथालने वाले और उस स्वामी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उपक्रम की समादत्त पूंजी की रकम से कम रकम की नहीं होगी और पाँच सौ करोड़ रुपये से अनधिक ऐसी रकम से, जो विहित की जाए, अधिक की नहीं होगी।

व्याख्या - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "समादत्त पूंजी" से, किसी स्वामी की दशा में, जो कंपनी नहीं है, बीमा की संविदा की तारीख को उपक्रम की सभी आस्तियों और स्टाकों का बाजार मूल्य अभिप्रेत है।

को निर्दिष्ट करने के लिए।

मुद्रास्फीति
समायोजन

धारा 7क के अधीन स्थापित राहत निधि में जमा करने के लिए भी संदत्त करेगा।

(2घ) बीमाकर्ता धारा 7क की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उपधारा (2ग) के अधीन स्वामी से प्राप्त रकम राहत निधि में जमा करने के लिए ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर भेजेगा जो विहित की जाए, और जहां बीमाकर्ता ऐसी रकम को इस प्रकार भेजने में असफल रहता है वहां ऐसी रकम बीमाकर्ता से भू-राजस्व के या लोक मांग के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।]

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी स्वामी को उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी, अर्थात् :-

(क) केन्द्रीय सरकार ;
(ख) कोई राज्य सरकार ;
(ग) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निगम ; या

(घ) कोई स्थानीय प्राधिकारी :

परन्तु ऐसे स्वामी के संबंध में कोई ऐसा आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी दायित्व की पूर्ति के लिए उस स्वामी द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार कोई निधि स्थापित न की गई हो और बनाए न रखी गई हो।

धारा 6:

राहत के दावे के लिए आवेदन। -

(1) राहत के दावे के लिए आवेदन-

(क) उस व्यक्ति द्वारा जिसे चोट लगी है।

(ख) उस सम्पत्ति के स्वामी द्वारा, जिसको नुकसान हुआ है ;

मूल अधिनियम की धारा 6 में, उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(1 क) जहाँ परिसंकटमय पदार्थ के विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, नाशकरण, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापन,

सार्वजनिक संपत्ति को अधिनियम के दायरे में शामिल करने के लिए।

(ग) जहां दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है वहां मृतक के सभी या किन्हीं विधिक प्रतिनिधियों द्वारा ; या

(घ) यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या ऐसी संपत्ति के स्वामी या मृतक के सभी या किन्हीं विधिक प्रतिनिधियों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा, किया जा सकेगा :

परन्तु जहां राहत के लिए ऐसे किसी आवेदन में मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए हैं वहां वह आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके फायदे के लिए किया जाएगा और वे विधिक प्रतिनिधि, जो इस प्रकार सम्मिलित नहीं हुए हैं, आवेदन के प्रत्यर्थियों के रूप में पक्षकार बनाए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन कलक्टर को किया जाएगा और वह ऐसे प्ररूप में होगा, उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी और उसके साथ ऐसे दस्तावेज होंगे जो विहित किए जाएं।

(3) राहत के लिए कोई आवेदन तभी ग्रहण किया जाएगा जब वह दुर्घटना होने के पांच वर्ष के भीतर किया गया हो।

अन्तरण या वैसी ही अन्य संक्रियाओं के कारण उस व्यक्ति को जिसे क्षति हुई है, उस संपत्ति के स्वामी द्वारा , जिसको नुकसान हुआ है, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति को कोई नुकसान हुआ है।”

धारा 7:

**राहत
पुरस्कार**

(1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर, स्वामी को आवेदन की सूचना देने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् दावे की या दावों में से प्रत्येक की जांच करेगा और राहत की उतनी रकम अवधारित करते हुए जितनी उसे न्यायसंगत प्रतीत हो तथा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करते हुए जिसे या जिनको राहत की वह रकम संदत्त की जाएगी, अधिनिर्णय देगा।

मूल अधिनियम में, धारा 7 में, उप-धारा (8) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -
“(9) इस तरह के परिसंकटमय पदार्थ के विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारकरण, उपयोग, परिवहन, संग्रह, नाशकरण, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापन, अन्तरण या वैसी ही अन्य संक्रियाओं के कारण जहाँ पर्यावरण प्रभावित या क्षतिग्रस्त हो जाता है, केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए

पर्यावरण को होने वाले नुकसान को अधिनियम के दायरे में शामिल करने के लिए।

(2) कलक्टर, अधिनिर्णय की प्रतियां संबंधित पक्षकारों को शीघ्र ही और किसी भी दशा में अधिनिर्णय की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, परिदत्त करने की व्यवस्था करेगा।

[(3) जब इस धारा के अधीन कोई अधिनिर्णय किया जाता है तब,

(क) वह बीमाकर्ता, जिससे ऐसे अधिनिर्णय के निबंधनों के अनुसार और धारा 4 की उपधारा (2ख) में विनिर्दिष्ट परिमाण तक किसी रकम के संदाय की अपेक्षा की जाती है, अधिनिर्णय की घोषणा की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उस रकम को ऐसी रीति से, जैसी कलक्टर निर्दिष्ट करे, जमा करेगा ;

(ख) कलक्टर राहत निधि से ऐसे अधिनिर्णय के निबंधनों के अनुसार और धारा 7क के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी रकम का संदाय करने की व्यवस्था करेगा जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए।

(ग) स्वामी ऐसी अवधि के भीतर ऐसी रकम, ऐसी रीति से, जो कलक्टर निर्दिष्ट करे, जमा करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई जांच करने में, कलक्टर, इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(5) कलक्टर को शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों और तात्त्विक सामग्री के प्रकटीकरण और पेश कराने तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, तथा कलक्टर को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी

आवेदन पर, जैसा भी मामला हो, इस तरह से हुई क्षति की बहाली के लिए निधि आवंटित कर सकती है।

	<p>प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।</p> <p>(6) जहां वह बीमाकर्ता या स्वामी जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन अधिनिर्णय किया गया है, ऐसे अधिनिर्णय की रकम उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जमा करने में असफल रहता है वहां ऐसी रकम, यथास्थिति, ऐसे स्वामी या बीमाकर्ता से भू-राजस्व या लोक मांग की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।</p> <p>(7) किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसको क्षति या किसी संपत्ति को नुकसान के बारे में राहत के लिए कोई दावा यथासंभव शीघ्र निपटाया जाएगा और धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन राहत के लिए आवेदन की प्राप्ति से तीन मास के भीतर ऐसे दावे का निपटारा करने का हर प्रयास किया जाएगा।</p> <p>[(8) जहां किसी स्वामी द्वारा, अधिनिर्णय की किसी रकम के संदाय का अपवंचन करने के उद्देश्य से, अपनी संपत्ति को हटाने या उसका व्ययन करने की संभावना है, वहां कलक्टर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश 39 के नियम 1 से 4 के उपबंधों के अनुसार ऐसे कार्य को अवरुद्ध करने के लिए अस्थायी व्यादेश दे सकेगा।]</p>		
<p>14. धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (2) का उल्लंघन करने पर या धारा 12 के अधीन निदेशों का अनुपालन</p>	<p>(1) जो कोई धारा 4 की [उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा या धारा 12 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष और छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो छह वर्ष तक की हो सकेगी, या</p>	<p>मूल अधिनियम में, धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-</p> <p>"14. उल्लंघन के लिए जुर्माना –</p> <p>1. जो कोई भी उप-धारा (1), उप-धारा (2), उप-धारा (2 क) या धारा 4 की उप-धारा (2 ग) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह उस राशि के बराबर जुर्माना का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो बीमा पॉलिसी</p>	<p>एमओईएफसीसी द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों/नियमों के आपराधिक प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा डीपीआईआईटी को अग्रेषित कार्य</p>

<p>करने में असफलता के लिए दंड</p>	<p>जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।</p> <p>(2) जो कोई, जिसे उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही सिद्धदोष ठहराया गया है, द्वितीय अपराध के लिए या द्वितीय अपराध के पश्चात्तर्वर्ती किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा।</p> <p>(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 या अपराधी परिचीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष की आयु से कम का न हो।</p>	<p>के लिए प्रीमियम की राशि से कम नहीं होगी और इस तरह के प्रीमियम की राशि से दोगुनी तक बढ़ सकती है।</p> <p>2. जहां उपधारा (1) के तहत उल्लंघन जारी रहता है, एक अतिरिक्त जुर्माना अधिनिर्णय अधिकारी द्वारा लगाया जा सकता है, जो भुगतान किए जाने वाले वार्षिक प्रीमियम की राशि से अधिक नहीं होगा, प्रत्येक महीने या उसके हिस्से के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है।</p> <p>3. इस अधिनियम के तहत लगाए गए सभी दंडों को ईआरएफ में जमा किया जाएगा।</p>	<p>योजना का अनुपालन करना।</p>
<p>15. धारा 9 के अधीन निदेश का या धारा 11 के अधीन आदेश का अनुपालन करने में असफलता या धारा 10 या धारा 11 के अधीन किसी व्यक्ति को उसके कृत्यों के निर्वहन करने में बाधा</p>	<p>यदि कोई स्वामी धारा 9 के अधीन जारी किए गए निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा या धारा 10 के अधीन या धारा 11 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाएगा, तो वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।</p>	<p>मूल अधिनियम में, धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -</p> <p>15. "निदेशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना एवं दण्ड -</p> <p>(1) जो कोई भी धारा 12 के अधीन जारी किए गए किसी निर्देश का पालन नहीं करता है, वह एक दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा जो पचास लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन कोई गैर-अनुपालन जारी रहता है, वह न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो गैर-अनुपालन के प्रत्येक महीने या उसके</p>	<p>एमओईएफसीसी द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों/नियमों के आपराधिक प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा डीपीआईआईटी को अग्रेषित कार्य योजना का अनुपालन करना।</p>

पहुँचाने के लिए दंड

भाग के लिए दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

(3) जहां कोई स्वामी धारा 9 के अधीन जारी निदेश का अनुपालन नहीं करता है या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश का अनुपालन नहीं करता है, या धारा 11 की धारा 10 या उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालता है, तो वह दण्ड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो ऐसे प्रत्येक गैर-अनुपालन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा।

15 क निर्णायक अधिकारी -

1. धारा 14 और 15 के तहत दंड का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, केंद्र सरकार, प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट को निर्णायक अधिकारी के रूप में इस तरह की जाँच करने और जुर्माना या दंड लगाने के लिए नियुक्त कर सकती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। बशर्ते कि केंद्र सरकार जहाँ तक आवश्यक हो उतने निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।

(2) निर्णायक अधिकारी साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को तलब और लागू कर सकता है, जो निर्णायक अधिकारी की राय में, जाँच करने के विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है और ऐसी जाँच करने पर यदि, वह संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति उप-धारा (1) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है, तो धारा 4 और धारा 12 की उपधारा (2), उप-धारा (2क) या उप-धारा (2 ग) के तहत वह इस तरह के दंड का निर्धारण कर सकता है जो वह धारा 14

और 15 के प्रावधानों के अनुसार उचित समझता है। बशर्ते, संबंधित व्यक्ति को इस मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा कोई दण्ड नहीं लगाया जाएगा।

15 ख अपील -

1. धारा 14 या 15 के तहत निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 की धारा 3 के तहत स्थापित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है।

2. उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिनों के भीतर दायर की जाएगी जिस दिन निर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है।

3. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित कर सकता है, पुष्टि, संशोधन या उसके खिलाफ अपील किए गए आदेश को अलग कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

**धारा 16.
कंपनियों
द्वारा
अपराध -**

(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(क) कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है;

एतद्वारा धारा 16 को हटा दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा
डिपार्टमेंट ऑफ
प्रोमोशन ऑफ
इंडस्ट्रीज एंड
इंटरनल ट्रेड
(डीपीआईआईटी)
को अग्रेषित की गई
कार्य योजना का
अनुपालन करना
ताकि मिनिस्ट्री
ऑफ एन्वायनमेंट,
फारेस्ट एंड
क्लाइमेट चैंज
(एमओईएफसीसी
) द्वारा प्रशासित
विभिन्न
अधिनियमों/निय
मों के दण्डात्मक
उपबंधों को
डिक्रिमिनलाइज़
किया जा सके।

चूँकि, दंडात्मक
प्रावधानों को गैर-
अपराधीकरण
(डिक्रिमिनलाइज़)
किया गया है,
इसलिए किसी भी
अन्य व्यक्ति के
रूप में कंपनी द्वारा
स्वयं दंड का
भुगतान किया जा
सकता है।

(ख) किसी फर्म के संबंध में, निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

धारा 17. सरकारी विभागों द्वारा अपराध। -

जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभाग का प्रधान उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसे विभाग के प्रधान को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के

मूल अधिनियम में, धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

धारा 17. सरकारी विभागों द्वारा उल्लंघन -

जहाँ इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या एजेंसी द्वारा किया गया है, तो ऐसे प्रावधान का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति और यदि वह व्यक्ति अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर कार्य करता है, तो ऐसा वरिष्ठ अधिकारी भी ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए 50000 /- रुपये से

एमओईएफसीसी द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों/नियमों के आपराधिक प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा डीपीआईआईटी को अग्रेषित कार्य योजना का अनुपालन करना।

किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

अधिक के दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

एक नई धारा 17क का अंतःस्थापन - मुख्य अधिनियम में, 17 के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

17 क. (1) जहाँ कोई भी व्यक्ति दंड या अतिरिक्त दंड का भुगतान करने में विफल रहता है, उसके लिए -

अ. धारा 14 और 17 के तहत उल्लंघन करने या निरंतर उल्लंघन करने, जैसा भी मामला हो सकता है; या

ख. धारा 15 के तहत निर्देशों का पालन न करना,

वह कारावास के लिए उत्तरदायी होगा जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है और / या जुर्माने के साथ जो पाँच लाख रुपये तक बढ़ सकता है।

2. जहाँ धारा 17ए के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय, कंपनी के व्यवसाय के संचालन करने के लिए कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था, इसके अलावा कंपनी को भी इस तरह के अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना एवं दंडित भी किया जाएगा:

बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई बात ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी, यदि वह यह सिद्ध करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी यथोचित परिश्रम किया था।

3. उपधारा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा

		<p>किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी की ओर से किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई और दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।</p> <p>व्याख्या — व्याख्या- इस धारा के प्रयोजनार्थ -</p> <p>(क) “कंपनी” का अर्थ किसी भी कॉर्पोरेट और कोई फर्म या अन्य व्यक्तियों के संघ से है;</p> <p>(ख) “निदेशक,” एक फर्म के संबंध में, निदेशक का अर्थ फर्म में एक भागीदार से है।</p>	
<p>धारा 23. नियम बनाने का अधिकार -</p>	<p>(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।</p> <p>(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्: -</p> <p>[(क) वह अधिकतम रकम जिसके लिए किसी स्वामी द्वारा धारा 4 की उपधारा (2क) के अधीन कोई बीमा पालिसी ली जा सकेगी;</p> <p>(कक) वह रकम, जिसका धारा 4 की उपधारा (2ग) के अधीन राहत निधि में जमा किए जाने के लिए प्रत्येक स्वामी द्वारा संदाय किया जाना अपेक्षित है;</p> <p>(कख) वह रीति जिसमें और वह अवधि जिसके भीतर स्वामी से प्राप्त रकम को</p>	<p>मुख्य अधिनियम में, धारा 23 की उप-धारा (2) में -</p> <p>1. उपबंध (क ग) के बाद, निम्नलिखित उपबंध को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -</p> <p>“उपबंध (क घ) धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रतिपूर्ति या अन्य राहत की धनराशि”;</p> <p>2. उपबंध (ख) के बाद, निम्नलिखित उपबंध को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -</p> <p>“उपबंध (ख क) धारा 15 बी के तहत जाँच आयोजित करने का तरीका;</p>	<p>अधिनियम से नियमों में राहत की धनराशि (quantum of relief) को स्थानांतरित करना ताकि इसे मुद्रास्फीति के अनुसार अधिक लचीला बनाया जा सके।</p>

धारा 4 की उपधारा (2घ) के अधीन बीमाकर्ता द्वारा भेजे जाने की अपेक्षा है।

(कग) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन निधि की स्थापना और उसे बनाए रखना;

(ख) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप और ऐसे आवेदन में दी जाने वाली विशिष्टियां और उसके साथ दिए जाने वाले दस्तावेज;

(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन कोई जांच करने की प्रक्रिया;

(घ) वे प्रयोजन जिनके लिए कलक्टर को धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी;

(ङ) वह रीति जिससे धारा 18 के खंड (ख) के अधीन अपराध की और केन्द्रीय सरकार को परिवाद करने के आशय की सूचना दी जाएगी;

(च) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक [नियम या स्कीम] बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस [नियम या स्कीम] में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह [नियम या स्कीम] नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु वह [नियम या स्कीम] के

	ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।		
अनुसूची	<p>अनुसूची [धारा 3(1) देखिए]</p> <p>(i) प्रत्येक मामले में 12,500 रुपए की अधिकतम राशि तक उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।</p> <p>(ii) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पर उपगत 12,500 रुपए की अधिकतम राशि तक चिकित्सा व्यय की, यदि कोई है, प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त, प्राणांतक दुर्घटनाओं के लिए राहत राशि 25,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति होगी।</p> <p>(iii) पूर्ण स्थायी या आंशिक स्थायी निःशक्तता या अन्य क्षति या बीमारी के लिए राहत राशि (क) प्रत्येक मामले में 12,500 रुपए की अधिकतम राशि तक उपगत चिकित्सा व्यय की, यदि कोई है, प्रतिपूर्ति; और (ख) किसी प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा यथाप्रमाणित निःशक्तता की प्रतिशतता के आधार पर नकदी राहत, होगी। पूर्ण स्थायी निःशक्तता के लिए राहत राशि, 25,000 रुपए होगी।</p> <p>(iv) आंशिक अस्थायी निःशक्तता के कारण, जिससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के उपार्जन सामर्थ्य में कमी हो जाए, मजदूरी की हानि के लिए, अधिकतम 3 मास तक 1,000 रुपए प्रतिमास से अनधिक नियत मासिक राहत राशि होगी: परन्तु यह तब जब दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को 3 दिन से अधिक अवधि तक</p>	मूल अधिनियम में, अनुसूची का लोप किया जाएगा।	मुआवजे की राशि, यदि नियमों में शामिल है, तो भविष्य में मुद्रास्फीति के लिए अधिक सुविधाजनक रूप से समायोजित किया जा सकता है।

अस्पताल में रखा गया हो और उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक हो।	
--	--

(v) प्राइवेट संपत्ति की किसी नुकसानी के लिए, वास्तविक नुकसानी के आधार पर 6,000 रुपए तक।	
---	--
